

अन्तिम डिक्री
डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(अ. आ. 20 नियम 6-7 व्य.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 159/2024


श्री गौ सेवा समिति, संगरिया जरिये अध्यक्ष देवराज पुत्र श्री तिलकराम जाति अग्रवाल
निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

1. प्रकाश चन्द पुत्र श्री सुरजभान जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. प्रकाश चन्द पुत्र श्री सुरजभान जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. दुर्गा प्रशाद पुत्र श्री सुरजभान जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. रक्षा देवी पुत्री श्री सुरजभान जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. सोना देवी पुत्री श्री सुरजभान जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. अनुजा देवी पुत्री श्री सुरजभान जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. शीला देवी पत्नी श्री निरंजनलाल जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. मिनाक्षी पुत्री श्री निरंजनलाल जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. सुनीता देवी पुत्री श्री निरंजनलाल जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) (फौत, नाम कलमजन)
10. कृष्णभगवान पुत्र श्री मोती लाल जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. सुनील कुमार पुत्र श्री निरंजनलाल जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
12. गणेश पुत्र श्री निरंजनलाल जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
13. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

महायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया



खाता विभाजन हेतु वाद

दिनांक :-

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल वकील वादी पेश होने पर तहसीलदार(राजस्व) संगरिया के पत्रांक प्रा. डिक्री/भू.अ./2024/4657/ दिनांक 02.12.2024 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष अभिभाषकगण द्वारा सहमति देने पर वादी का वाद पत्र मुताबिक खाता विभाजन अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादी का खाता मुताबिक विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार अलग कायम किया जावे:-

श्री गौ सेवा समिति, संगरिया जरिये अध्यक्ष देवराज पुत्र श्री तिलकराम जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 2 एम.जे.डी. खाता सं. 113/91 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
181/185	29	5/0.126 है., 6/0.152 है., 15/0.126 है.,
182/5	28	1/0.103 है., 10/0.126 है.,
<u>कुल 0.633 है. कृषि भूमि</u>		



उक्तानुसार वादी का खाता विभाजन कर रकमराज अलग से कायम की जावे। उक्तानुसार वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व शेष खाता बदस्तूर जमाबन्दी रखा जावे। तहसीलदार राजस्व संगरिया द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री का भाग रहेगा।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज निल मुब्लिकनिल बाबत्
.....निल...1500..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकको अदा करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 9-1-2025 को जारी किया जाता है।

(जय कौशिक)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
संगरिया